

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी
भर्ती-2025

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की प्रक्रिया

संख्या:पीआरपीबी-बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07/2025 दिनांक:सितम्बर 23 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31-12-2025 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

शारीरिक दक्षता परीक्षा

1- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 कि०मी० की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि०मी० की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे।

2- यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है:-

- (क) जनपद/कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)।
- (ख) जनपद/कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक।
- (ग) जनपद/कमिश्नरेट के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी।

जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त समिति में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त समिति में सम्बन्धित जिला/कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट

अधिकारियों, जो पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

- 3— समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण (Impersonation) से बचने के लिये किया जायेगा।
- 4— शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
- 5— शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 6— शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- 7— शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 8— अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र (ई-आधार कार्ड पासपोर्ट साइजिंग लाइसेंस) एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गये हैं अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को तदनुसार भिन्न कर लें तथा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। प्रवेश पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 9— चयन परीक्षा को निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही उपस्थित हों। किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गयी अन्तिम तिथि/रिजर्व डे के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्तिम तिथि/रिजर्व डे के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 10— यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु

सम्बन्धित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। डाक, ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त दिये जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे शारीरिक परीक्षा हेतु निर्धारित की गयीं दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक अथवा अन्तिम तिथि/रिजर्व डे-पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक/रिजर्व-डे के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के बाद उसके द्वारा दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

11- शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान स्टेरायड्स/उत्तेजक/नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है जिसकी पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा आवश्यक जाँच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

12- परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी।

अपर सचिव (भर्ती)/परीक्षा नियंत्रक,
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।